

//1//  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 68/2020

**उनवान**

रतनी देवी पत्नी कमल सिंह जाति रावत नि0 भवानीखेडा, नसीराबाद  
—वादी :- जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

**बनाम**

- 1 जडाव पत्नी हरि फौत तर्क
2. बीरम पुत्र हरि,
3. बुद्धा पुत्र हरि,
4. सेखादेवी,
5. कमला देवी,
6. जनता देवी पुत्री हरि,
7. कैलाश सिंह पुत्र कमल सिंह जाति रावत नि0 भवानीखेडा, नसीराबाद,
8. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

— प्रतिवादीगण :- 2 से 6 जरियें अधिवक्ता श्री शिव सिंह रावत  
7 अनुपस्थित, 8 जरियें राज. पैरोकार



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :-

दिनांक :- 16.8.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीखेडा के खाता संख्या 724/724 कित्ता 11 रकबा 1.2614 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी/सह काश्तकारी की है। उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे हैं। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के अधिवक्ता को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने के कारण जवाब बंद किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया। प्रकरण का कोई खण्डन नहीं होने के कारण तनकी कायम नहीं की गयी।

अधिवक्ता वादी ने जाहिर किया कि वे वाद में मात्र विभाजन का अनुतोष चाहते हैं तथा प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी में है। प्रतिवादी संख्या 1 फौत हाने व उसके वारिस पूर्व में रिकार्ड में होने के कारण नाम तर्क किया गया। उक्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। वादी ने उक्त वाद में विभाजन का अनुतोष चाहा


*[Handwritten signature]*

है। प्रतिवादी संख्या 7 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 ने जवाब पेश नहीं किया है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नहीं किया है। आराजी मुतनाजा का विभाजन होने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव के समय भी प्रस्तुत कर सकते है। वादी विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम भवानीखेडा के खाता संख्या 724/724 किता 11 रकबा 1.2614 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रतनीदेवी बनाम जडाव


दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 68/2020

पेश करने की दिनांक - 05.08.20

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई अभिभाषक शिव सिंह रावत व राज० पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम भवानीखेडा के खाता संख्या 724/724 किता 11 रकबा 1.2614 की आराजी पर वादी का दावा "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक ₹ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16 माह 8 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई


मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद